ले.प.प्रति.सं.-40/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल** के माह **06/2014** से **10/2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री ए. के. श्रीवास्तव**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **रविन्द्र कुमार जयन्त,** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **16.11.2018** से **20.11.2018** तक श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **टी एस नेगी** एवं श्री **अजय त्यागी**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक **09.06.2014** से **18.06.2014** तक श्री **पुष्कर**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह प्रारम्भ से 05/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **06/2014** से **10/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **गढ़वाल परिक्षेत्र, पौडी गढ़वाल**
(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-					-	
2015-16	-	-	482.40	423.43	54.22	52.26	-	85.44
2016-17	-	-	592.70	456.70	91.49	68.03	-	159.45
2017-18	-	-	533.25	504.59	56.34	54.01	-	30.99
2018-19 (10/18 तक)			982.75	479.57	54.88	38.78		519.27

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिविल जज (वरि0प्रभाग)/मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट
अपर सिविल (वरि0प्रभाग)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिविज जज (कनि0प्रभाग)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि लेखापरीक्षा में कार्यालय, जिला न्यायाधीश, पौडी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला न्यायाधीश, पौडी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, 03/2017, 12/2017 एवं 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तरः1-</u> फर्म के बिलों को भुगतान करने पर आयकर रू 12485 की कटौती न किये जाना।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अन्तर्गत रू 30000 से अधिक की धनराशि के भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय के बिल बाउचर्स की जांच में पाया गया है कि निम्न फर्मों के बिल भुगतान किया गया है। लेकिन उक्त बिलों से 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

क्र.सं.	फर्म का नाम	मद का नाम	बिल एवं दिनांक	धनराशि	2 प्रतिशत आयकर की कटौती न किया जाना।
1.	मैमर्स सनिनका सिस्टम, देहरादून	जेनेटर का क्रय	26/21.06.2015	312125	6242.50
2.	मैमर्स सनिनका सिस्टम, देहरादून	जेनरेटर का क्रय	85/18.03.2015	312125	6242.50
				योग	12485

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि जांच कर कार्यवाही की जायेगी।

अतः फर्म के बिलों को भुगतान करने पर आयकर रू 12485 की कटौती न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारीयों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः2-</u> न्यायाधीशों को डाईग रूम सुज्जीकरण हेतु अग्रिम दी गई धनराशि का समायोजन न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या 385/xxxvi(1)/2013-6एक(2)/06 टी सी न्याय अनुभाग, देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर 2013 के बिन्दु 06 के अनुसार उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक 06 वर्ष में रू 75000 की धनराशि आवास पर डाईग रूम के सुसज्जीकरण हेतु अनुमन्य होगी। इसी के तारत्मय में महानिबंधक हाईकोर्ट, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 17 मार्च 2015 को रू 313000 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दी गई थी। जिसके सापेक्ष चार न्यायाधीशों को रू 75000 की दर से रू 300000 की धनराशि अग्रिम रू से दिनांक 26.03.2015 को भुगतान कर दिया गया।

कार्यालय के व्यय बाउचर्स की जांच में पाया गया है कि चार न्यायाधीशों में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष केवल जिला न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल द्वारा बिल का समायोजन दिया गया है तथा शेष तीन न्यायाधीशों श्री धनंजय चतुर्वेदी, अपर जिला जज कोटद्वार, नसीम अहमद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौडी एवं श्री योगेन्द्र कुमार सागर, सिविल जज पौडी द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि 10/2018 तक कुल रू 225000 का समायोजन बिल नहीं दिया गया है।

जबकि वित्तीय नियमानुसार जिस वित्तीय वर्ष धनराशि अग्रिम प्रदान की जाती है उसी वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशि का समायोजन किया जाना चाहिए। लेकिन विभाग द्वारा तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त तीन न्यायाधीशों से समायोजन प्राप्त नही किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि सम्बन्धित न्य्याधीशों से बिल प्राप्त कर समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। सम्प्रेक्षा में समायोजन प्रतीक्षित रहेगा।

अतः अग्रिम दी गई धनराशि रू 225000 का समायोजन न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> लेन-देनो के लेखे की रोकडबही न बनाया जाना।

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के सभी लेन देनों (नगद/चेक/ड्राफ्ट/ई पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय, जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 06/2014, से 10/2018 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रू 35.44 करोड़ के लेन-देनों (स्थापना+गैरस्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है विभाग द्वारा एक उप रोकड़बही का रख रखाव किया गया है जिसमें केवल पेटी कैश से संबन्धित लेन देन दर्ज किये जा रहे है जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अत रू 35.44 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनायें जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
08/2014-15	-	1,2	**-**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
08/2014-15	अनुपालन आख्या अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के बाद सत्यापन नही किया जा सका।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री विवेक वी शर्मा	जिला न्यायाधीश	11.09.2013	14.11.2014
2	श्री कंवर सेन	जिला न्यायाधीश	17.11.2014	30.11.2017
3	श्री जी.एस. धर्मशक्तू	जिला न्यायाधीश	06.12.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र